प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह, IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विशेष सचिव
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास/
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक
सूचना विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक /एस.एल.डी.सी./2016–17 लखनऊ दिनांक 26 मई,2016

विषयः– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)के अन्तर्गत आन्तरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट पैनल के तैयार किये जाने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)के अन्तर्गत आन्तरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट पैनल के तैयार किये जाने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन विषयक विज्ञापन (पॉच प्रतियों में) सी.डी. सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विशेष सचिव

पत्रांक 152 /एस.एल.डी.सी./2016–17 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एंव जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
5. समस्त सम्मानित सदस्य गठित समिति।
6. प्रशासनिक अधिकारी/टेक्निकल एक्सपर्ट, आई.टी. स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की संलग्न विज्ञापन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विशेष सचिव

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष–0522–4005337, 4113437 ईमेल–sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 152 /एस.एल.डी.सी/लेखा–EOI/2016–17 दिनॉक 26 मई, 2016

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest)

भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) के अन्तर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) योजना मे संचालित परियोजनाओं का डब्ल्यू.सी.डी.सी./पी.आई.ए. डब्ल्यू.सी. तथा एस.एल.एन.ए स्तर के समस्त (संस्थागत/परियोजनावार) अभिलेखों का वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेट से कराये जाने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्मो का पैनल (सूचीकरण) तैयार किये जाने हेतु दिनांक 17.06.2016 की सांय 5:00 बजे तक EOI आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइड http://upldwr.up.nic.in पर उपलब्ध है। प्रारूप आदि को डाउनलोड किया जा सकता है। रूचि रखने वाली फर्म तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है।

क0 सं0	सूचीकरण की मुख्य कसौटी
1	फर्म भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होना चाहिए।
2	फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3	फर्म के कम से कम 03 एफ.सी.ए. पार्टनर हो।
4	फर्म का गत तीन वर्षो (वर्ष 2013–14, 20104–15 एवं 2015–16) का औसत टर्न ओवर कम से कम रू0 100.00 लाख होना चाहिए।
5	फर्म द्वारा 01.01.2015 को इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया से जारी संवैधानिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6	फर्म के पास उ0प्र0संरकार के किसी विभाग का राज्य स्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
7	ई0ओ0आई0 के साथ फर्म को रू0 01.00 लाख का डी.डी. धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा टेण्ड़र स्वीकृति के उपरान्त यह धनराशि जमानत के रूप में मानी जायेगी।

नोटः–

1. अधूरे/अस्पष्ट निविदा (EOI) को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन में निहित होगा।
2. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यकम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) भारत सरकार की वेबसाइड http://dolr.nic.in पर उपलब्ध है।
3. इच्छुक फर्म प्रार्थना पत्र में पूर्ण पता दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित)/ई–मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या अवश्य अंकित कर प्रेषित करें, ताकि परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
4. किसी भी विवाद की स्थिति मे सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन Arbitrator होंगे एवं सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विशेष सचिव